रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264691
CG-DL-E-15072025-264691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3145] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947
No. 3145] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

का.आ. 3215(अ).— केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड के परामर्श के पश्चात, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन /एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को आवंटित कोयला ब्लॉक अर्थात् पकरी -बरवाडीह , केरंदारी , चट्टी-बरियातू , बादम, दुलंगा और तलाईपल्ली कोयला खदानों को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2063 (अ), दिनांक 21 जून , 1988, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, की प्रयोज्यता से, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में संख्या 1 से 3 के समक्ष निर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रमिकों के रोजगार के संबंध में , तीन वर्ष की अवधि के लिए 29.05.2024 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए से छूट देती है, अर्थात्: -

(i) उपर्युक्त कार्यों में लगे कर्मकार के हितों की रक्षा की जाए;

(ii) ऐसे कर्मकारों को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी और अन्य लाभ का भुगतान किया जाएगा;

(iii) खान विकासकर्ता एवं प्रचालक (एमडीओ) अवार्ड में उक्त उपबंधों को संशोधित या सम्मिलित करते समय, प्रधान नियोक्ता यह ध्यान रखेगा कि उपर्युक्त कार्यों में लगे कर्मकार के हितों की रक्षा की जाए।

(iv) केन्द्रीय सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन /एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड में ऐसे कर्मकार को ऐसी मजदूरी और लाभ दिए जा रहे हैं या नहीं;

(v) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन /एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि जब भी अनुबंध में परिवर्तन हो, तो विद्यमान अनुबंध कर्मकार को, जो काम कर रहे हैं, कर्तव्यों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन आने वाले ठेकेदार द्वारा रोजगार में वरीयता दी जा सकती है;

(vi) उक्त अधिसूचना सं. का.आ.2063(अ) तारीख 21 जून 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के समक्ष निर्दिष्ट कोयला खनन कार्यों के सहायक या सुसंगत कार्यों में काम करने वाले कर्मकारों को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित मजदूरी और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरें मिलेंगी;

(vii) ठेकेदार, साथ ही प्रधान नियोक्ता, उक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे, जो हर छह महीने में बढ़ता है, और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य लाभ भी प्रदान करेंगे;

(viii) संविदा कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अंतर्गत आएंगे; और

(ix) ठेका श्रमिकों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार वेतन सहित बोनस और अवकाश का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: - यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

[फा. सं. यू -23013/02/2017-एलडब्लू(बी)]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2025

S.O. 3215(E).— In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts the Coal Blocks allotted to National Thermal Power Corporation/NTPC Mining Limited namely, the Pakri-Barwadih, Kerandari, Chatti-Bariatu, Badam, Dulanga and Talaipalli Coal Mines from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O.2063, dated the 21st June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against numbers 1 to 3, for the period of three years with effect form 29.05.2024 subject to following conditions, namely: -

(i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;

(ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(iii) while amending or including the said provisions in the Mine Developer and Operator (MDO) Award, the principal employer shall keep in mind that the interest of the workmen engaged in the above-mentioned works be protected.

(iv) the Central Advisory Contract Labour Board shall have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in National Thermal Power Corporation/ NTPC Mining Limited;

(v) the Management of National Thermal Power Corporation/NTPC Mining Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;

(vi) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063(E), dated the 21st June, 1988 shall get wages as determined by the High-Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;

(vii) the contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High-Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);

(viii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and

(ix) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

Explanatory Memorandum: - It is certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

[F. No. U-23013/02/2017-LW(B)]

ASHUTOSH A.T PEDNEKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.07.15 22:58:20 +05'30'